इसे वेबसाइट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 अगस्त 2015—भाद्र 2, शक 1937

पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्र. एफ 23-5-2011-पैंतीस.—पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों का नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम (चेकपोस्ट एवं संगरोग शिविर, निरीक्षण की रीति आदि) नियम, 2015 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों का नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (2009 का 27);

(ख) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा.

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं.

3. **संगरोध शिविर तथा चेक पोस्ट में निरीक्षण की रीति तथा निरोध की कालावधि.**—(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पशु किसी अनुसूचित अधिसूचित रोग से संक्रमित है या नहीं, चेक पोस्ट अथवा संगरोध शिविर में रोके गये पशु का निरीक्षण चेक पोस्ट अथवा संगरोध शिविर के भारसाधक व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के लिए किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) चाल एवं ठवन;

(दो) सुस्त, खिन्न, सामान्य अथवा उत्तेजित व्यवहार;

(तीन) शारीरिक तापक्रम में वृद्धि;

(चार) मुंह, पैर अथवा थन में फोड़ा;

(पांच) आंख, नाक अथवा योनि से अत्यधिक स्त्राव;

(छह) पसीना एवं कंपन;

(सात) शुष्क त्वचा, बालों का झड़ना, त्वचा पर चकत्ते आदि;

(आठ) कमजोरी;

(नौ) नैसर्गिक छिद्रों से रक्त स्त्राव;

(दस) गलकम्बल अथवा अन्य शारीरिक अंगों में सूजन;

(2) चेक पोस्ट अथवा संगरोध के स्थान के भारसाधक व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार नमूने एकत्रित किए जाएंगे.

(3) चेक पोस्ट का भारसाधक व्यक्ति, पशुओं को ऐसी अवधि के लिए जो बारह घंटों से अधिक की न हो, निरीक्षण, अनिवार्य टीकाकरण, पहचान चिन्हांकन आदि के प्रयोजन के लिए चेकपोस्ट में रोक सकेगा, चेक पोस्ट पर टीकाकरण किए गए पशु के स्वामी को अधिनियम की धारा 9 की अपेक्षा के अनुसार टीकाकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा.

(4) पशु के सावधानीपूर्वक निरीक्षण के उपरान्त भारसाधक अधिकारी या तो इन नियमों से संलग्न प्ररूप "क" में प्रवेश अनुज्ञापत्र जारी कर पशु के अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश हेतु अनुमति देगा या पशुओं को संगरोध शिविर भेज देगा.

(5) (एक) पशुओं के परीक्षण हेतु प्रभार निम्नानुसार होंगे :—

परीक्षण हेतु (बड़े पशुओं हेतु रुपए 10/- एवं छोटे पशुओं हेतु रुपए 5/-), टीकाकरण (बड़े पशुओं हेतु रुपए 5/- एवं छोटे पशुओं हेतु रुपए 2/-) एवं कर्णभेदन अथवा चिन्हांकन की कोई अन्य उपयुक्त विधि (बड़े पशुओं एवं छोटे पशुओं हेतु रुपए 10/-) पशु के स्वामी द्वारा दिए जाएंगे.

(दो) चेक पोस्ट पर होने वाले अन्य व्यय भी पशु के स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे.

4. **संगरोध शिविर के भारसाधक अधिकारी द्वारा रोके जाने वाले पशु.**—(1) संगरोध शिविर का भारसाधक अधिकारी निम्न पशुओं को शिविर में रोकेगा :—

(एक) जो किसी अनुसूचित अधिसूचित रोग से पीड़ित हैं; या

(दो) जो किसी अनुसूचित अधिसूचित रोग से संक्रमित पशु के संपर्क में आए हैं या उसके समीप रखे गए हैं; या

(तीन) नियम 3 के उपनियम (4) में उल्लिखित किए गए अनुसार चेक पोस्ट के भारसाधक अधिकारी द्वारा भेजे गए हैं;

(चार) किसी अनुसूचित रोग से प्रभावित पशुओं की कोई प्रजाति जैसी कि नियंत्रित क्षेत्र से बाहर निकलने के समय अधिसूचित की जाए.

संगरोध शिविर में 14 दिन के संगरोध के अध्यधीन होंगे.

(2) संगरोध शिविर का भारसाधक अधिकारी, संगरोध शिविर में रोके गए पशुओं के स्वामी को इन नियमों से संलग्न प्ररूप "ख" में पावती देगा.

(3) संगरोध के दौरान पशुओं को कर्णभेदन द्वारा अथवा विशिष्ट संख्या से पहचान के किसी अन्य उपयुक्त तरीके द्वारा पहचाना जाएगा, किसी अनुसूचित रोग के लिए पशुओं का नियमित रूप से परीक्षण किया जाएगा. पशु का अनुसूचित रोग के लिए टीकाकरण किया जाएगा और यदि आवश्यकता हो तो पशु चिकित्सीय उपचार प्रदान किया जाएगा, यदि पशुओं का टीकाकरण हुआ है तो पशु के स्वामी को अधिनियम की धारा 9 की अपेक्षा के अनुसार टीकाकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा.

(4) (एक) परीक्षण हेतु प्रभार (बड़े पशुओं हेतु रुपए 10/- एवं छोटे पशुओं हेतु रुपए 5/-) टीकाकरण (बड़े पशुओं हेतु रुपए 10/- एवं छोटे पशुओं हेतु रुपए 2/-) एवं कर्णभेजन अथवा चिन्हांकन की अन्य उपयुक्त विधि (बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु रुपए 10/-) पशु के स्वामी द्वारा दिए जाएंगे.

(दो) संगरोध शिविर पर होने वाले अन्य व्यय भी पशु के स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे.

(5) सफल संगरोध के पश्चात् संगरोध शिविर का भारसाधक अधिकारी, पशुओं को उनके स्वामी को सौंप देगा और इन नियमों से संलग्न प्ररूप "ग" में अपने हस्ताक्षर से संगरोध मुक्ति प्रमाण-पत्र भी देगा. प्ररूप "क" अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित प्रवेश अनुज्ञापत्र का भी काम करेगा.

5. **क्षेत्राधिकार.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न या कोई शंका उद्भूत हो तो मामला संचालक, पशुपालन, मध्यप्रदेश शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला अजीतवार, उपसचिव.

प्ररूप – क
(नियम 3(4) देखिए)

प्रवेश अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र क्रमांक (विशिष्ट प्रमाण–पत्र क्रमांक)

नीचे वर्णित सभी पशु .... (अनुसूचित अधिसूचित रोग का नाम) से मुक्त पाए गए और उन्हें आज दिनांक .... (तारीख) को .... अधिसूचित नियंत्रित या मुक्त क्षेत्र में प्रवेश/उससे निकलने की अनुमति दी जाती है :–

चेक पोस्ट का विवरण			
स्थान			
पशुओं के स्वामी का विवरण			
पशुओं के स्वामी का नाम व पता			
पशु कहां से आए हैं			
पशुओं को कहां जाना है			
पशुओं का विवरण			
	पशु (1)	पशु (2)	पशु (3)
पहचान क्रमांक			
प्रजाति			
नस्ल			
उम्र			
लिंग			
रंग			
टीकाकरण प्रमाण–पत्र क्रमांक			
प्रवेश अनुज्ञापत्र जारी किए जाने का विवरण			
जारी करने का दिनांक		हस्ताक्षर	
जारी करने का स्थान		नाम	
		पदनाम	

प्ररूप — ख
(नियम 4(2) देखिए)

संगरोध शिविर अभिरक्षा पावती

प्रमाण—पत्र क्रमांक

नीचे वर्णित सभी पशुओं को .... (दिनांक) को 14 दिवस की अवधि हेतु मेरी अभिरक्षा में लिया गया है।

संगरोध शिविर का विवरण			
स्थान			
पशुओं के स्वामी का विवरण			
पशुओं के स्वामी का नाम व पता			
पशु कहां से आए हैं			
पशुओं को कहां जाना है			
पशुओं का विवरण			
	पशु (1)	पशु (2)	पशु (3)
पहचान क्रमांक			
प्रजाति			
नस्ल			
उम्र			
रंग			
लिंग			
टीकाकरण प्रमाण—पत्र क्रमांक			
संगरोध शिविर अभिरक्षा पावती जारी किए जाने का विवरण			
जारी करने का दिनांक		हस्ताक्षर	
जारी करने का स्थान		नाम	
		पदनाम	

प्ररूप – ग
(नियम 4(5) देखिए)
संगरोध शिविर मुक्ति अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र क्रमांक

संगरोध शिविर अभिरक्षा पावती क्रमांक

नीचे वर्णित सभी पशुओं को ....(अनुसूचित अधिसूचित रोग का नाम) से मुक्त पाया गया है एवं आज .... (दिनांक) को संगरोध से मुक्त करते हुए ....(नियंत्रित/मुक्त क्षेत्र का नाम) में प्रवेश/से निकलने की अनुमति दी गई।

संगरोध शिविर का विवरण			
स्थान			
दिनांक से ....पशुओं का संगरोध		दिनांक .... तक पशुओं का संगरोध	
पशुओं के स्वामी का विवरण			
पशुओं के स्वामी का नाम व पता			
पशु कहां से आए हैं			
पशुओं को कहां जाना है			
पशुओं का विवरण			
	पशु (1)	पशु (2)	पशु (3)
पहचान क्रमांक			
प्रजाति			
नस्ल			
उम्र			
रंग			
लिंग			
टीकाकरण प्रमाण–पत्र क्रमांक			
संगरोध मुक्ति अनुज्ञापत्र जारी किए जाने का विवरण			
जारी करने का दिनांक		हस्ताक्षर	
जारी करने का स्थान		नाम	
		पदनाम	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमला अजीतवार, उपसचिव.

Bhopal, the 24th August 2015

No. F 23-5/2011/35 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009), the State Government, with the approval of the Central Government, hereby, makes the following rules, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Check Post and quarantine camp, manner of inspection.etc.) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (No. 27 of 2009);

(b) "Form" means forms appended to these rules.

(c) "Section" means section of the Act;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **The manner of inspection and the period of detention at quarantine camp and check post.-**

(1) In order to ascertain whether the animal is infected with any of the scheduled notified disease, the animal stopped at the check post or detained in the quarantine camp shall be inspected by the person in charge of check post or quarantine camp for the following, namely :-

(i) movement and gait;

(ii) dull, depressed, normal or excited behaviour;

(iii) increase in body temperature;

(iv) ulcer in the mouth, feet or udder;

(v) excessive lacrimation, nasal or vaginal discharge;

(vi) sweating and shivering;

(vii) dryness of the skin, alopecia, skin rashes;

(viii) weakness;

(ix) bleeding through natural openings;

(x) swelling in dewlap region or any other part of the body;

(2) The person in charge of check post or quarantine station shall also collect the necessary samples for laboratory examination, if required.

(3) The person in charge of check post may detain animals at the check post for a period not exceeding twelve hours for the purpose of inspection, compulsory vaccination and identification/marking etc. the owner of the animals vaccinated shall be given a vaccination certificate at the check post as required by section 9 of the Act.

(4) After careful examination of the animal, the officer in charge shall either allow entry of the animal to the notified control area or free area by issuing an entry permit in Form A appended to these rules or transport the animals to the quarantine camp.

(5) Charges for examining animal shall be as follows.-(i) for examination (Rs. 10/- for large animals and Rs.5/- for small animals), vaccination (Rs. 5/- for large animals and Rs.2/- for small animals) and ear tagging or any suitable method of identification of animal (Rs.10/- for large and small animals) shall be borne by the animal owner.

(ii) other expenses at check post shall also be borne by the animal owner.

4. Animal to be detained by the officer-in-charge of quarantine camp.-

(1) The officer-in-charge of the quarantine camp shall detain the following animals:-

(i) which are suffering from any scheduled notified disease; or
(ii) which have come into contact with or have been kept in the proximity of animal infected with a scheduled notified disease; or
(iii) transported by the incharge of check post as mentioned in sub-rule (4) of rule 3; or
(iv) any species of animals affected by any Scheduled disease as may be notified at the time of exit from the controlled area.

shall be subjected to a quarantine of 14 days in a quarantine camp.

(2) the officer-in-charge of quarantine camp shall give an acknowledgement to the animal owner for the animals detained in the quarantine camp in Form B appended to these rules.

(3) During quarantine, the animals shall be identified by ear-tagging or any other suitable method of identification bearing unique number, animals shall be examined regularly for any scheduled disease. Animal shall be vaccinated against the scheduled disease and provided with veterinary treatment, if required, if animals are vaccinated, the owner of the animal shall be provided with a vaccination certificate as required in section 9 of the Act.

(4) (i) The charges for examination (Rs. 10/- for large animals and Rs.5/- for small animals), vaccination (Rs. 5/- for large animals and Rs.2/- for small animals) and ear tagging or any suitable method of identification of animal (Rs.10/- for large and small animals) shall be borne by the animal owner.

(ii) other expenses at quarantine camp shall also be borne by the animal owner;

(5) After successful quarantine, the officer-in-charge of quarantine camp shall release the animals to the animal owner and also grant the quarantine Release Permit as per Form-C appended to these rules under his signature. Form-C shall also serve as Entry permit as required in sub-section (2) of section 15 of the Act.

5. Jurisdiction.-

If any question or any doubt arises in relation to the interpretation of these rules, the matter shall be referred to the Director of Animal Husbandry, Government of Madhya Pradesh whose decision thereon shall be final and binding.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KAMLA AJEETWAR, Dy. Secy.

FORM-A
[See Rule 3(4)]

Entry Permit

Permit No. (unique certificate number)

All the animals described below are found free from........................ (notified scheduled diseases name) diseases and on this day..................... (date), granted entry / exit from/.................... (name of the notified controlled/ free area.

Details of Check post			
Location			
Details of owner of animals			
Name and address of owner of animals			
Animals arrived from			
Animals destined for			
Details of animals			
	Animal 1	Animal 2	Animal 3
Identification No.			
Species			
Breed			
Age			
Sex			
Colour			
Vaccination certificate No.			
Entry Permit issue details			
Date of Issue		Signature	
Place of issue		Name	
		Designation	

FORM-B
[See rule 4(2)]
Quarantine Camp Custody Acknowledgement

Certificate No.

All the animals described below have been taken in my custody on this day------------------------------------- for a period of 14 days.

Details of Quarantine Camp			
Location			
Details of owner of animals			
Name and address of owner of animals			
Animals arrived from			
Animals destined for			
Details of animals			
	Animal 1	Animal 2	Animal 3
Identification no.			
Species			
Breed			
Age			
Colour			
Sex			
Vaccination Certificate no.			
Quarantine Camp Custody Acknowledgement issue details			
Date of issue		Signature	
Place of issue		Name	
		Designation	

FORM-C
[See Rule 4(5)]

Quarantine Release Permit

Permit No.

Quarantine Camp Custody Acknowledgement No.-

All the animals described below are found free from.............................. (name of notified scheduled disease) and on this day........................ (date) released from the quarantine and granted entry/exit from/to the controlled/free area.

Details of Quarantine Camp			
Location			
Quarantine of animals from..........		Quarantine of animals to...........	
Details of owner of animals			
Name and address of owner of animal			
Animals arrived from			
Animals destined for			
Details of animals			
	Animal 1	Animal 2	Animal 3
Identification no.			
Species			
Breed			
Age			
Colour			
Sex			
Vaccination Certificate no.			
Quarantine Release Permit issue details			
Date of issue		Signature	
Place of issue		Name	
		Designation	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KAMLA AJEETWAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.